राजस्व अपील संख्या 58/20.21
अनवान
नथाराम बनाम सरकार

दिनांक 24–6–2022

राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । अपीलांट की ओर से कोई उपस्थित नही । उक्त पत्रावली न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी पाली से सुनवाई क्षेत्राधिकार परिवर्तन हो जाने से इस न्यायालय मे विचाराधीन रहते अपीलांट की ओर से कोई उपस्थित नही आने पर इस न्यायालय से अपीलांट के पते पर रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 22–4–2021 को जारी किया गया । जिस पर रजिस्टर्ड लिफाफे पर आसामी के फोतगी रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसका उल्लेख आदेशिका दिनांक 11–6–21 मे किया गया है । तत्पश्चात पीठासीन अधिकारी का पद स्थानांतरण से रिक्त होने एवं पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यो मे व्यस्थ रहनें से पत्रावली मे पेशी इल्तवा होती रही है । आज तारीख पेशी पर भी अपीलांट की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ है ऐसे मे अब इस अपील को आगे चलाया जाना न्यायोचित नही होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील अपीलांट की अदम हाजरी मे खारीज की जाती है । पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जाये । निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया ।

अति० [illegible] आयुक्त,
जोधपुर